



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006 ई0

चैत्र 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 720/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 07 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 07, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण)

अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 07, सन् 2006)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त
शीर्षक एवं
प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह 09 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की
धारा 2 में
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (क) में शब्द "दैनिक भत्ता" से पूर्व शब्द "मानदेय" (चाहे उसके लिए 'वेतन', 'पारिश्रमिक' या अन्य कोई शब्द प्रयुक्त किया हो), रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम की
धारा 3 में
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में-(क), खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे:-

(भ) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) के पद, अर्थात् :-

- (1) राज्य आपदा राहत समिति।
 - (2) आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरण।
 - (3) भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।
 - (4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्।
 - (5) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्।
 - (6) राज्य स्तरीय कृषक मित्र परिषद्।
 - (7) राज्य स्तरीय उद्योग मित्र परिषद्।
 - (8) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
 - (9) उत्तरांचल बाल कल्याण बोर्ड।
 - (10) गढ़वाल मण्डल विकास निगम।
 - (11) कुमाऊँ मण्डल विकास निगम।
 - (12) चार घाम विकास परिषद्।
 - (13) श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति।
 - (14) उत्तरांचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।
 - (15) राज्य स्तरीय विशेष मात्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।
 - (16) उत्तरांचल वाणिज्य कर सलाहकार समिति।
 - (17) उत्तरांचल अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग।
 - (18) पर्यटन परामर्शदाता।
 - (19) गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड।
 - (20) उत्तरांचल भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड।
 - (21) उत्तरांचल वन विकास निगम।
 - (22) बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।
 - (23) उत्तरांचल परिवहन निगम।
 - (24) राज्य युवा कल्याण परिषद्।
 - (25) राज्य योजना आयोग।
 - (26) हिलट्रॉन।
- (ख) खण्ड (म) निकाल दिया जायेगा।

4-इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त किसी निकाय अथवा उनके विधिमन्यकरण प्राधिकारियों द्वारा मूल अधिनियम या उसके अधीन प्रदत्त अपनी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई विधिमन्य रूप से की गयी बात या कार्रवाई समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के सभी उपबन्ध तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the the Uttaranchal [Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 05, 2006.

No. 720/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, April 07, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT No. 07 OF 2006)

(As passed by the Uttaranchal Legislature Assembly)

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971

AN

ACT

It Is HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:--

1-- (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Act, 2006.

Short title and
Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on November 09, 2000.

2-- In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (a), the word "honorarium" (whether the word salary, remuneration or any other word has been used for the purpose) shall be added before the word "daily allowance".

Amendment of
section 2 of the
principal Act

3--In section 3 of the principal Act--(a) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely--

Amendment of
section 3 of the
principal Act

(x) The office of the Chairman, or Vice-chairman or Member (whether called Director or by any other name) of each of the following bodies, namely:--

- (1) Rajya Apda Rahat Samiti.
- (2) Apda Avam Nunikaran Prabandhan Pradhikaran.
- (3) Bhagirathi Nadi Ghati Vikas Pradhikaran.
- (4) Uttaranchal Parytan Vikas Parishad.
- (5) Uttaranchal Krishi Utpadan Mandi Parishad.
- (6) Rajya Stariya Krisak Mitra Parishad.

- (7) Rajya Stariya Udyog Mitra Parishad.
- (8) Uttaranchal Anya Pichhara Varg Ayog.
- (9) Uttaranchal Bal Kalyan Board.
- (10) Garhwal Mandal Vikas Nigam.
- (11) Kumoun Mandal Vikas Nigam.
- (12) Chaar Dham Vikas Parishad.
- (13) Sri Badrinath Avam Sri Kedarnath Mandir Samiti.
- (14) Uttaranchal Khadi Gramoudyog Board.
- (15) Rajya Stariya Vishes Matrakaran Yojna Karyanvayan Avam Anushrawan Samiti.
- (16) Uttaranchal Vanijya Kar Salahkar Samiti.
- (17) Uttaranchal Anusuchit Jati-Janjati Ayog.
- (18) Parytan Paramarshdata.
- (19) Ganna Avam Chini Vikas Udyog Board.
- (20) Uttaranchal Bhawan Avam Sannirman Karmkar Board.
- (21) Uttaranchal Van Vikas Nigam.
- (22) Bees Sutriya Karykrim Kiriyanwayan Samiti.
- (23) Uttaranchal Parivahan Nigam.
- (24) Rajya Yuva Kalyan Parishad.
- (25) Rajya Yojana Ayog.
- (26) Hiltron.
- (b) Clause (y) shall be omitted.

Validation

4--Anything done or any action taken by the bodies or its authorities after the commencement of this Act in the exercise or purported exercise of its jurisdiction, powers and authority conferred by or under the principal Act shall be deemed to have been validly done or taken as if the provisions of the principal Act, had been in force at all material times.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.